रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062021-227824
SG-DL-E-23062021-227824

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]	**दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943**	**[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57**
No. 169]	**DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943**	**[N. C. T. D. No. 57**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2021

फा.स. 957/टी.ओ.(एस.)/टी. सी.-फेलिंग/2020-21/1294-1302.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में नेताजी नगर (पैकेज-II), नई दिल्ली में जी. पी. आर. ए. कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लगभग 1.847 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	परियोजना स्थल पर वृक्षों की कुल संख्या	बचाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
			प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नेताजी नगर (पैकेज-II), नई दिल्ली में जी. पी. आर. ए. कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु A	2406	767	1314	325	1639	16390

योग	2406	767	1314	325	1639	16390

यह छूट पहले जारी की गई 2490 वृक्षों के लिए अधिसूचना पत्रांक संख्या एफ.आर. 150/टी.ओ.(एस.)/टी.सी-फेलिंग/2017-18/641-53 दिनांक- 23.04.2018 के विस्तार तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 9,34,23,000 /- रूपये (नौ करोड़ चौंतीस लाख तेईस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी (यदि पूर्व मे जमा नहीं किया गया हो)।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य पशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (1639 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात 16390 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का उप वन संरक्षक (उत्तरी) द्वारा 7 वर्षों के रखरखाव की व्यवस्था के साथ 21.45 हेक्टेयर भूमि, नई दिल्ली में पहले ही लगाए जा चुके है ।	16390	9,34,23,000 /-	उप– वन संरक्षक (दक्षिण) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 1170 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े है, नेताजी नगर साइट की सीमा की परिधि में और 144 वृक्षों का प्रत्यारोपण सेक्टर -20ए द्वारका, नई दिल्ली में भारत बंधन पार्क के विकास में किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 16390 से अधिक (अर्थात 23833) पौधों का 21.45 हेक्टेयर भूमि पर 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव की व्यवस्था के साथ उप वन संरक्षक (उत्तरी) द्वारा पहले ही किया जा चुका है । इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उप वन संरक्षक (उत्तरी) द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. उपरोक्त 1 (ख) के अनुसार उपभोगी संस्था द्वारा 1314 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े है, स्वय की लागत पर किया जाएगा।

4. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।

5. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जाएगी ।

7. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।

8. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।

9. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

10. वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

11. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो ।

12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

13. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

14. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को भी दी जाएगी ।

18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।

20. उपभोगी संस्था द्वारा 325 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । वृक्षों की अनुमति 1314 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और उप– वन संरक्षक (दक्षिण) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।

21. उपभोगी संस्था द्वारा 1639 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष का प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत एक अपराध होगा ।

22. अनुमति तभी दी जाएगी जब "वृक्ष संरक्षण योजना" को समय पर उप– वन संरक्षक (दक्षिण) द्वारा जारी किए गए पत्र दिनाँक-13.01.2021 के अनुसार वृक्ष अधिकारी/ उप– वन संरक्षक (दक्षिण) को प्रस्तुत की जाएगी ।

23. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2021

F.No.957/TO(S)/TC/Felling/2020-21/1294-1302.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 1.847 ha. (approx.) as detailed below for the redevelopment of GPRA Colony at Netaji Nagar (Pkg.-II), New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Total number of trees at the project site.	Number of trees to be saved.	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings)
			Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Redevelopment of GPRA Colony at Netaji Nagar (Pkg.-II), New Delhi.	2406	767	1314	325	1639	16390
Total	**2406**	**767**	**1314**	**325**	**1639**	**16390**

The said exemption is in continuation of the earlier Notification issued vide F.No.R.150/TO(S)/TC-Felling/17-18/641-53 dated 23.04.2018 for 2490 trees and subject to fulfillment of the following conditions:-

1. NBCC (India) Limited, herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 9,34,23,000 /- (Nine Crore Thirty Four Lakh Twenty Three Thousand only) towards security deposit (**if not deposited earlier**) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplant of 1639 trees i.e., number of tree saplings proposed of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad and Desi Kikkar along with other native species has already been planted by DCF (North) with maintenance arrangements for 7 years over 21.45 ha. Land New Delhi.	16390	9,34,23,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 1170 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at periphery of the boundary of Netaji Nagar site & 144 no. of trees at Development of Bharat Bandan Park at Sector-20, Dwarka, New Delhi..			

2. 100% Compensatory Plantation of more than 16390 (i.e 23833) saplings of native species has already been done by DCF (North) with maintenance arrangements for 7 years over 21.45 ha. land of New Delhi and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) above.
3. Transplantation of 1314 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency with their own funds in the location as indicated at 1 (b) above.
4. Land owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.
5. Details transplantation schedule shall have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of DPTA, 1994 before initiating transplantation/ felling.
6. User Agency shall maintain plantation journal as prescribed by Department of Forests and Wildlife, GNCTD and submit a copy of same at end of each financial year.
7. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.
8. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three (03) months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
9. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
10. Permission for transplantation/ felling of 1639 number of tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
11. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling of trees.
12. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
13. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
14. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
15. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

16. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

17. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.

18. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.

19. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.

20. The transplantation shall be carried out prior to felling of 325 nos. of trees permitted herein. The 325 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 1314 trees and submission of compliance certificate to DCF (South).

21. Transplantation/ felling of any tree apart from 1639 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

22. The permission shall be granted only is "The Tree Preservation Plan" is timely submitted to the DCF (South) as per letter dated 13.01.2021 issued by DCF (South).

23. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.23 21:03:25 +05'30'